दिनांक : 17 फरवरी 2025

बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - आरबीआई, पटना में 4 x 120 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए फ्लेम रिटार्डेंट एसएमएफ बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

शीर्षांकित निविदा 03 फरवरी, 2025 को आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में, 14 **फरवरी, 2025 को दोपहर 12:00 बजे** 'उमप्र चैंबर' दूसरी मंजिल, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में निर्धारित समय के अनुसार बोली पूर्व बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में, बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित विवरण के रूप में जारी किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य और इच्छुक बोलीदाता बोली-पूर्व बैठक के दौरान उपस्थित थे:

i) आरबीआई की ओर से प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजीव कुमार	उप महाप्रबंधक
2.	श्री आनंद कुमार	प्रबंधक
3.	श्री अभिषेक साहा	सहायक प्रबंधक
4.	श्री अंशुमान त्रिपाठी	सप्र (तकनीकी इलेक्ट्रिकल)
5.	श्री अभिनव पुल्लक	जूनियर इंजीनियर (तकनीकी इलेक्ट्रिकल)

ii) ऑफलाइन बोली पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए अभिप्रेत कंपनी/फर्म के प्रतिनिधियों की सूची

क्र.सं.	नाम आवेदक	फर्म/कंपनी का नाम
1.	श्री रवि एस.के.सिंह	मेसर्स रौनक एंटरप्राइजेज
2.	श्री बिपिन कुमार सिंह	OEM-अमार राजा
3.	श्री इमदाद अनवर	मेसर्स भारत बैटरी सेंटर

बैठक के कार्यवृत्त में दिया गया स्पष्टीकरण:

क्रमांक	खंड	फर्म के प्रश्न	टिप्पणियां
1.	क्रम संख्या 6 के तहत चेकलिस्ट	OEM से प्राधिकार प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है या नहीं।	निविदा की धारा I के तहत खंड 4.0 के अनुसार आरबीआई पटना को संबोधित वैध प्राधिकार डीलरशिप/ओईएम/वितरक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.	क्रम संख्या 3.8 के तहत बैटरियों का आवधिक परीक्षण और जाँच	फर्म ने आवधिक मासिक परीक्षण के बारे में पूछताछ की और उसका विवरण मांगा।	निविदा के पैरा 3.8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार फर्म को सभी बैटरियों का मासिक परीक्षण और जाँच करने की आवश्यकता है।
3.	एएमसी यूपीएस विक्रेता के साथ संपर्क	क्या वर्तमान यूपीएस एएमसी विक्रेता के साथ काम के दौरान संपर्क किया जाना चाहिए।	सामान्य निर्देशों के तहत पैरा 5 के अनुसार वर्तमान यूपीएस एएमसी विक्रेता के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है। समन्वय के उद्देश्य के लिए सफल विक्रेता द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
4.	खंड IV - बैटरी रैक और केबल	बैटरी रैक देना है या नहीं और बैटरी इंटरकनेक्शन केबल को बदलने की जरूरत है या नहीं।	मौजूदा बैटरी रैक का उपयोग किया जा सकता है यदि यह बैटरी के प्रस्तावित मॉडल के आकार के अनुकूल है अन्यथा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नए बैटरी रैक प्रदान करने होंगे।
5.	पुरानी बैटरियों के लिए टैक्स इनवायस	पुरानी बैटरियों के लिए टैक्स इनवॉइस जारी किया जाएगा या नहीं।	पुरानी बैटरियों के लिए छूट देय राशि से समायोजित की जाएगी। कोई इनवायस जारी नहीं किया जाएगा।
6.		फैक्ट्री निरीक्षण के संबंध में बैंक फैक्ट्री निरीक्षण करेगा या नहीं।	फर्म को पैरा 3.7 (ए) के अनुसार सभी परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रेषण से पहले फैक्ट्री निरीक्षण बैंक के विवेक पर किया जा सकता है।
7.	विद्युत लाइसेंस पृष्ठ संख्या 37 के अनुसार	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी लाइसेंस/वायरमैन लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं।	हां, कृपया क्रम संख्या 15 की वाणिज्यिक स्थिति के तहत खंड V देखें।
8.	पृष्ठ संख्या 37 के अनुसार ईएमडी/बोली सुरक्षा	ईएमडी ऑनलाइन मोड से या भौतिक रूप से, कैसे जमा किया जाएगा।	ईएमडी या तो डीडी या एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई पटना में जमा किया जाएगा। इस संबंध में क्रम संख्या 2.8.1 के निविदाकर्ताओं के निर्देशों के तहत खंड II देखें।

9.	बीमा खंड	तीन (03) विभिन्न प्रकार के बीमा के प्रमाण पत्र जमा किए जाएंगे या नहीं।	हाँ, कृपया क्रम संख्या 6.0 के बीमा खंड पैरा के तहत अनुबंध की विशेष शर्त के तहत खंड III देखें।
10.	तकनीकी विनिर्देश और स्वीकृत बनावट (मेक) कॉलम का खंड IV	चेकलिस्ट के तकनीकी विनिर्देश निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं या नहीं	हाँ, चेकलिस्ट के तकनीकी विशिष्टता को निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना है। कृपया तकनीकी विशिष्टता और स्वीकृत मेक कॉलम के तहत खंड IV देखें।
11.	तकनीकी विनिर्देश और स्वीकृत मेक कॉलम का खंड IV	प्रत्येक बैटरी का न्यूनतम विनिर्देश 120 एएच होगा या नहीं।	विक्रेता उच्च क्षमता की बैटरी भी ले सकते हैं।

भविष्य में किसी भी विक्रेता / ठेकेदार से किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

पटना